



2026:AHC-LKO:16803-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - सी संख्या - 2406 सन 2026**

मातादीन केवट

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनामउत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन
विभाग लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : पूजा यादव

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रत्नेश चंद्रा

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय****माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को, विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री राज बक्स सिंह को तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रखर मिश्रा को सुना गया।

2. इस बात पर विवाद है कि निर्माण रोकने का नोटिस याचिकाकर्ता को दिया गया था या नहीं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता के अनुसार, यह नोटिस उस परिसर पर चिपकाया गया था जहां उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1973' कहा गया है) की धारा 27 के तहत कार्यवाही लंबित रहने के दौरान अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा था। प्रस्तर-12 में याचिकाकर्ता ने अधिनियम, 1973 की धारा 27 के तहत कार्यवाही की जानकारी होने और उसमें भाग लेने की बात स्वीकार की है, इसलिए संबंधित परिसर को सील करने में कोई त्रुटि नहीं है। इसके अलावा, उनका कहना है कि अधिनियम, 1973 की धारा 28-ए (4) के तहत लखनऊ विकास

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष ऐसी सीलिंग के खिलाफ अपील करने का वैधानिक उपाय है, जिसका लाभ नहीं उठाया गया है, इसलिए यह याचिका विचारणीय नहीं है।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा मत है कि यदि याचिकाकर्ता उचित समझे तो उसे सीलबंदी को चुनौती देते हुए अपील दायर करनी चाहिए और अधिनियम, 1973 की धारा 27 के तहत कार्यवाही का विरोध करना चाहिए।

4. निस्तारित किया गया।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

फरवरी 27, 2026

एम.वी.एस./-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।